



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

6 अग्रहायण 1946 (श10)

(सं० पटना 1125) पटना, बुधवार, 27 नवम्बर 2024

बिहार विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना
27 नवम्बर 2024

सं० वि०सं०वि०-25/2024- 4209/ वि०सं०—“बिहार खेल विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2024”, जो बिहार विधान सभा में दिनांक-27 नवम्बर, 2024 को पुरःस्थापित हुआ था, बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-116 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है ।

आदेश से,
ख्याति सिंह,
प्रभारी सचिव।

[वि०स०वि०-23/2024]

बिहार खेल विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2024

बिहार खेल विश्वविद्यालय अधिनियम, 2021 को संशोधित करने के लिए विधेयक ।

प्रस्तावना :-

चूँकि बिहार खेल विश्वविद्यालय अधिनियम में विभाग का नाम "कला, संस्कृति एवं युवा विभाग" को "खेल विभाग" एवं "निदेशक, छात्र एवं युवा कल्याण निदेशालय" का नाम "निदेशक, खेल निदेशालय" किया जाना है, इसलिए बिहार खेल विश्वविद्यालय अधिनियम, 2021 में संशोधन किया जाना आवश्यक है।

इसलिए भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप से अधिनियमित हो:-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।—(1) यह अधिनियम बिहार खेल विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2024 कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त समझा जायेगा।

2. बिहार खेल विश्वविद्यालय अधिनियम, 2021 का संशोधन।—उक्त अधिनियम में जहाँ-जहाँ "कला, संस्कृति एवं युवा विभाग" शब्द समूह अंकित है, के स्थान पर "खेल विभाग", शब्द समूह से प्रतिस्थापित किये जायेंगे तथा जहाँ-जहाँ "निदेशक, छात्र एवं युवा कल्याण निदेशालय" शब्द समूह अंकित है के स्थान पर "निदेशक, खेल निदेशालय" शब्द समूह से प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

3. बिहार अधिनियम 21, 2021 की धारा 4 (vii) का संशोधन।— बिहार अधिनियम 21, 2021 की धारा 4 (vii) को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

"बिहार खेल विश्वविद्यालय, राजगीर, राज्य खेल अकादमी, राजगीर की अवसंरचनाओं का उपयोग निदेशक, राज्य खेल अकादमी, राजगीर की सहमति से कर सकेगा। इस संबंध में समय-समय पर खेल विभाग, पटना, बिहार द्वारा उचित दिशा-निदेश निर्गत किया जायेगा।

उद्देश्य एवं हेतु

बिहार खेल विश्वविद्यालय अधिनियम, 2021 में "कला, संस्कृति एवं युवा विभाग" के स्थान पर "खेल विभाग" एवं "निदेशक, छात्र एवं युवा कल्याण निदेशालय" का नाम "निदेशक, खेल निदेशालय" किया जाना समीचीन है। इसके लिये बिहार खेल विश्वविद्यालय अधिनियम, 2021 में "कला, संस्कृति एवं युवा विभाग" शब्द समूह के स्थान पर "खेल विभाग" शब्द समूह तथा "निदेशक, छात्र एवं युवा कल्याण निदेशालय" शब्द समूह के स्थान पर "निदेशक, खेल निदेशालय" शब्द समूह किया जाना तथा अधिनियम की धारा-4 (vii) में संशोधन करना इसका उद्देश्य है, जिसे अधिनियमित करना ही इस विधेयक का अभिष्ट है।

(सुरेन्द्र मेहता)

भार-साधक सदस्य

पटना,

दिनांक-27.11.2024

प्रभारी सचिव,

बिहार विधान सभा।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1125-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>